कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक–257 राँची, दिनांक– 09.03.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **सी0सी0एल0 द्वारा चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत–400.96 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत–298.42 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/140599/2021) के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक 3836 दिनांक 22.12.2022
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 359 दिनांक 08.02.2023
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 266 दिनांक 01.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 के चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु कुल 699.38 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 359 दिनांक 08.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्रतिपालक, झारखण्ड के प्रतिवेदनानुसार पृच्छावार निराकरण निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

क्र0 सं0	पृच्छा	अनुपालन
1	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत् संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 67 दिनांक 05.01.2021 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है (छायाप्रति संलग्न अनु0–01) जो प्रक्रियाधीन है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता समर्पित किया गया है कि स्टेज–II अनुमोदन के पूर्व FRA प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जायेगा। (छायाप्रति संलग्न अनु0–02)
2	CWLW का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्रतिपालक झारखण्ड, राँची के पत्रांक 266 दिनांक 01.03.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति अनुलग्न–A के रूप में संलग्न है।
3	CA हेतु चिन्हित् अवकृष्ट वनभूमि के लिए समर्पित सभी अभिलेखों में प्लॉट संख्या का मिलान करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल के प्लॉटों का सत्यापन अभिलेखों से एवं स्थल पर जाकर कर लिया गया है। मौजा लक्षुडीह एवं केन्दुआ के प्राक्कलन Online Upload कर दिया गया है जिसका हार्ड कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न है (छायाप्रति संलग्न अनु0–04) वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का प्लॉटो का सत्यापन अभिलेखों से एवं स्थल पर जाकर कर लिया गया है एवं तत्संबंधी उपयुक्ता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (अनु0–04)

अतः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

09.02.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

9-2

Annexure - 'A' (624)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002
Email : pccf-wildlife@gov.in,Phone No. 0651-2481744

732
02/03/2023

पत्रांक : 266 रांची दिनांक: 01/03/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः– सी0सी0एल0 द्वारा चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 400.96 हे0 हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 298.42 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव **(FP/JH/MIN/140599/2021)** के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय का पत्रांक 165 दिनांक 20.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 की चनद्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना की कुल लीज क्षेत्र 1495 हे0 है, जिसमें 699.38 हे0 वनभूमि है, जो लीज क्षेत्र का 47 प्रतिशत है। इसके अपयोजन से काफी मात्रा में वन भूमि प्रभावित होगा। जिसका प्रभाव जंगल एवं जंगली जानवरों पर पड़ना स्वभाविक है। समर्पित प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 445 दिनांक 17.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का site inspection report/ recommendation में निम्नवत facts का उल्लेख किया गया है:–

1. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल का मंतव्यः– "The entire patch of forest land proposed for diversion is undulating but in almost compact patch, rich in flora and fauna diversity, from a forester's perspective it is a good and healthy forest with fair amount of degradation on the fringes. The forest is very rich in flora composition and the predominant species is sal (Shorea robusta) along with the associated species like Kendu (Diaspryos melanoxylon), Khair (Acacia catechu), Syzigium Cumini, Mahua (Madhuca indica), Bamboo, Neem (Azadirachta indica), Boswellia serrata etc. The forest floor is dominated by herbs and shrubs of medicinal importance like, Asparagus racemosus, Sarpagandha, vitex negundo, wild turmeric, Ban tulsi, Indigofera pulchlla, etc. The fauna reported in the area include Striped Hyena (Hyena), Sptted Deer, Nilgai, Common mongoose with Asiatic Elephant through not resident but regularly visit in the area apart from other reptiles and amphibians."

"The area harbours many wild animals including stripped hyena, Asiatic elephant, so to mitigate the negative impact of mining on resident and migratory wild animals, a Wildlife Management Plan is required to be prepared and implemented effectively."

2. चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का मंतव्यः– "The applied area is a good habitat of wildlife, The proposed area and its surrounding area also, being a habitat of many wild animals, shall definitely bear some impacts on residing and adjoining wild animals for which a Wildlife Management Plan shall be required." The Asian elephants, the endangered ones, through do not reside in the proposed areas, they visit these areas every year in search of food and fodder and damage the crops, houses etc.

उपरोक्त मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रस्तावित वन भूमि एवं इसके आस–पास के क्षेत्र में विभिन्न वन्यप्राणियों का प्राकृतिक पर्यावास है। साथ ही इस क्षेत्र से जंगली हाथियों का आवागमन होते रहता है। प्रस्तावित खनन कार्य का वन एवं वन्यप्राणियों पर कम से कम प्रभाव हो इसके लिए विषयगत प्रस्ताव की स्वीकृति के कम में स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का निर्माण तथा इसका कियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर कराया जाना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है।

प्रस्तावित स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन योजना में निम्न बिन्दुओं का भी समावेश आवश्यक प्रतीत होता है:–

(क) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिकी, और वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव का आकलन किए जाना अपेक्षित होगा। यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और इस हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा rare/endangered/unique species of flora and fauna को Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा The list of threatened plant species endemic to region और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव–जंतु लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

(ख) योजना का निर्माण विशेषज्ञों के सहायता से किया जाय, 'जिसमें संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों व जीव–जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों और पडने वाले संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव सहित परियोजना निर्माण से अद्भूत वन्यप्राणियों के habitat fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पडने एवं उससे निपटने के उपाय के साथ तैयार किया जाय। योजना के कार्यान्वयन के Monitoring and Evaluation के लिए विशेषज्ञ रखने का भी प्रावधान योजना में किया जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/01/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

27/02

27/1/23

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,
Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 445 दिनांक : 17.02.2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

विषय :– सी0सी0एल0 द्वारा चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 400.96 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 298.42 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव (संख्या–**FP/JH/MIN/ 140599/2021**) के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय का पत्रांक 1476 दिनांक 13.12.2022 तथा पत्रांक 52 दिनांक 12.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि विषयक परियोजना सी0सी0एल0 की चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 400.96 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 298.42 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता के संबंध में मंतव्य की मांग की गई है। इस संदर्भ में सूचित करना है कि कुल लीज क्षेत्र 1495 हे0 है जिसमें 699.38 हे0 वनभूमि है, जो लीज क्षेत्र का 47% है। यानि इसके अपयोजन से काफी बड़ी मात्रा में वनभूमि प्रभावित होगा, जिसका प्रभाव जंगल एवं जंगली जानवारों पर पड़ना स्वाभाविक है। समर्पित प्रस्ताव में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के Site Inspection Report/Recommendation में निम्न Facts का उल्लेख किया गया है :–

1. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का मंतव्य :–

" The entire patch of forest land Proposed for diversion is undulating but in almost compact patch, rich in flora and fauna diversity, from a forester's perspective it is a good and healthy forest with fair amount of degradation on the fringes. The forest is very rich in flora composition and the predominant species is sal (Shorea robusta) along with the associated species like Kendu (Diaspryos melanoxylon), Khair (Acacia catechu), Syzigium Cumini, Mahua (Madhuca indica), Bamboo, Neem (Azadirachta indica), Boswellia serrata etc. The forest floor is dominated by herbs and shrubs of medicinal importance like, Asparagus racemosus, Sarpagandha, vitex negundo, wild turmeric, Ban tulsi, Indigofera pulchlla, etc. The fauna reported in the area include Striped Hyena (Hyena), Spotted deer, Nilgai, Common mongoose with Asiatic Elephant through not resident but regularly visit in the area apart from other reptiles and amphibians."

"The area harbours many wild animals including stripped hyena, Asiatic elephant, so to mitigate the negative impact of mining on resident and migratory wild animals, a Wildlife Management Plan is required to be prepared and implemented effectively."

(692)

2. चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का मंतव्य :–

" The applied area is a good habitat of wildlife. The proposed area and its surrounding area also, being a habitat of many wild animals, shall definitely bear some impacts on residing and adjoining wild animals for which a wildlife management plan shall be required." The Asian elephants, the endangered ones, through do not reside in the proposed areas, they visit these areas every year in search of food and fodder and damage the crops, houses etc.

उपरोक्त मंतव्य से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित वनभूमि एवं इसके आस–पास के क्षेत्र में विभिन्न वन्यप्राणियों का प्राकृतिक पर्यावास है। साथ ही इस क्षेत्र से जंगली हाथियों का भी आवागमन होते रहता है। प्रस्तावित खनन कार्य का वन एवं वन्यप्राणी पर प्रभाव कम से कम हो इसके लिए विषयगत प्रस्ताव की स्वीकृति के क्रम में स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का निर्माण तथा इसका क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर कराया जाना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव के क्रम में स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का तैयार करने एवं इसका क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर कराने का शर्त अधिरोपित करने हेतु अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

(619)

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 359 दिनांक : 08.02.2023.

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

नितीश कुमार

विषय :– **सी0सी0एल0 द्वारा चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 400.96 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 298.42 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव (संख्या–FP/JH/MIN/140599/2021) के संबंध में।**

प्रसंग :– भवदीय का ज्ञापांक 1314 दिनांक 29.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि विषयक परियोजना सी0सी0एल0 द्वारा चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 400.96 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 298.42 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 3836 दिनांक 22.12.2022 द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। पृच्छित बिन्दुओं का वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 238 दिनांक 06.02.2023 तथा प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 118 दिनांक 08.02.2023 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। वन संरक्षकों से प्राप्त निराकरण के आधार पर प्रतिवेदन निम्नवत् प्रतिवेदित किया जा रहा है :–

क्र.सं.	पृच्छा	अनुपालन
1	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत् संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 67 दिनांक 05.01.2021 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है **(छायाप्रति संलग्न अनु0–01)** जो प्रक्रियाधीन है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता समर्पित किया गया है कि स्टेज–II अनुमोदन के पूर्व FRA प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जायेगा। **(छायाप्रति संलग्न अनु0–2)**
2	CWLW का मंतव्य।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा विस्तृत मंतव्य पार्ट–II में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन **(छायाप्रति संलग्न अनु0–3A)** में अंकित किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे वन्यजीव यथा अनुसूची–I एवं II के महत्वपूर्ण प्रजाति जैसे Stripped hyena, मोर, गिद्ध, जंगली हाथी (Migratory) के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे Vertebrates & invertebrates पाये जाते हैं। अतः इस परियोजना द्वारा इन पर पड़नेवाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु एक Site Specific Wildlife Management Plan बनाना एवं उसका क्रियान्वयन आवश्यक है।

490
10/02/2023

CCL Chandragupt OCP

		वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने इस संबंध में प्रतिवेदित किया है कि अपयोजन प्रस्ताव के अनुशंसा प्रतिवेदन (छाया प्रति संलग्न–3B) में उल्लेखित किया गया है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे वन्यजीव यथा अनुसूची–I एवं II के महत्वपूर्ण प्रजाति जैसे Stripped hyena, मोर, खरगोस, हिरण, जंगली हाथी आवागमन संबधी के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे Vertebrates & invertebrates पाये जाते हैं। अतः इस परियोजना द्वारा इन पर पड़नेवाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु एक Site Specific Wildlife Management Plan बनाना एवं उसका क्रियान्वयन आवश्यक है।
3	CA हेतु चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि के लिए समर्पित सभी अभिलेखों में प्लॉट संख्या का मिलान करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल के प्लॉटों का सत्यापन अभिलेखों से एवं स्थल पर जाकर कर लिया गया है। मौजा लक्षुडीह एवं केन्दुआ के प्राक्कलन में अंकित प्लॉटों को सुधार कर संशोधित प्राक्कलन Online Upload कर दिया गया है जिसका हार्ड कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न है **(छायाप्रति संलग्न अनु0–4)** वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का प्लॉटो का सत्यापन अभिलेखों से एवं स्थल पर जाकर कर लिया गया है एवं तत्संबंधी उपयुक्ता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक–4)**

उपरोक्त पृच्छाओं से संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

आपका विश्वासी,

8/4/2023

अनु0–यथोक्त।

क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक,
हजारीबाग।

8/4/23

(617)

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक :– 118 दिनांक :– 09.02.2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– **सी0सी0एल0 द्वारा चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 400.96 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 298.42 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव (संख्या–FP/JH/MIN/140599/2021) के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 1314 दिनांक 29.12.2022 एवं आपका ज्ञापांक 2984 दिनांक 29.12.2022 तथा ज्ञापांक 135 दिनांक 16.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 244 दिनांक 24.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पत्रांक 3836 दिनांक 22.12.2022 द्वारा किये गये तीन बिन्दुओं पर पृच्छा का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया गया है, अनुपालन प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत् है:–

क्र.सं.	पृच्छा	अनुपालन
1	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत् संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 67 दिनांक 05.01.2021 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) जो प्रक्रियाधीन है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता समर्पित किया गया है कि स्टेज–II अनुमोदन के पूर्व FRA प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जायेगा।
2	CWLW का मंतव्य।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने इस संबंध में प्रतिवेदित किया है कि विस्तृत मंतव्य Part II में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (छाया प्रति संलग्न) में अंकित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे वन्यजीव यथा अनुसूची–I एवं II के महत्वपूर्ण प्रजाति जैसे Stripped hyena, मोर, खरगोस, हिरण, जंगली हाथी आवागमन संबधी के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे Vertebrates & invertebrates पाये जाते हैं। अतः इस परियोजना द्वारा इन पर पड़नेवाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु एक Site Specific Wildlife Management Plan बनाना एवं उसका क्रियान्वयन आवश्यक है।

3	CA हेतु चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि के लिए समर्पित सभी अभिलेखों में प्लॉट संख्या का मिलान करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का प्लॉटो का सत्यापन अभिलेखों से एवं स्थल पर जाकर कर लिया गया है एवं तत्संबंधी उपयुक्ता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक–1)**

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसमें अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

अनुलग्नक–यथोक्त

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

618

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303
E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 244 दिनांकः 24/01/2023

सेवा में,

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल
चतरा ।

विषय- हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखण्ड तथा चतरा जिला के टंडवा प्रखण्ड अन्तर्गत चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना निर्माण हेतु 699.38 हे. में चतरा दक्षिणी 400.96 हे0 वनभूमि आपरोजन प्रस्ताव (संख्या- FP/JH/MIN/140599/2021) के संबंध में।

प्रसंगः- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निर्देशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड रांची का ज्ञापांक 1314 दिनांक 29.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में सीसीएल ने अपने पत्रांक 416 दिनांक 18.01.2023 द्वारा समर्पित बिन्दु संख्या 1 का अनुपालन प्रतिवेदन एवं शर्त संख्या 1, 2 का समेकित अनुपालन प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ताव में किये गये तीन बिन्दुओं पर पृच्छाओं का निराकरण निम्नवत दी जाती है :-

क.स.	कंडिका	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत संबंधित उपयुक्त द्वारा नाम-पत्र (इस कम में हुई बैठक की कार्य के साथ)।	इस संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपायुक्त हजारीबाग के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है (छाया प्रति संलग्न) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनवद्धता इस कार्यालय में समर्पित किया गया कि Stage II अनुमोदन के पूर्व इसे समर्पित कर दिया जायेगा।
2	CWLW का मंतव्य	इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विस्तृत मंतव्य Part II में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है, जिसमे उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे वन्यजीव यथा अनुसूची-1 एवं 11 के महत्वपूर्ण प्रजाति जैसे Stripped hyen, मोर, खरगोस, हिरण, जंगली बली आवागमन संबंधी के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे Vertebrates & inverte beatates] पाये जाते है। अतः इस परियोजना द्वारा इन पर पड़नेवाले नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने हेतु एक Wildlife Management Plan बनाना एवं उसका प्रभावोत्पादक अनुपालन आवश्यक है।
3	CA, हेतु चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि के लिए समर्पित सभी अभिलेखों में प्लॉट संख्या मिलान करते हुए प्रतिवेदन	प्रस्ताव के साथ क्षतिपुरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का प्लॉटों का सत्यापन अभिलेखों से एवं स्थल पर जाकर कर लिया गया है, एवं तत्संबंधी उपयुक्तता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक 1)

अतः प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेतर कारवाई करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नकः यथोक्त।

आपका विश्वासी
24.01.2023
वन प्रमंडल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल
24/1/2023